हरियाणा सिविल सेवा (पुनरीक्षित पेंशन) भाग–II, नियम 2009 (दिनांक 17.4.2009) के संबंध मे अक्सर पूछे जाने पर प्रश्न उत्तर (FAQ)

प्रश्न	क्या किसी सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध मे जिसकी मृत्यु 1.1.2006 से पहले हो गई है और जिनका परिवार 1.1.2006 को बढी हुई पारिवरिक पेंशन (Enhanced family Pension) प्राप्त कर रहा था। पारिवारिक पेंशन के भुगतान हेतू 10 वर्ष की अवधि लागू होगी?
उत्तर	हॉ। यदि किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु उसकी सेवा अवधि मे हो जाती है तो बढी हुई पारिवारिक पेंशन के भुगतान के लिए 10 वर्ष का समय सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तिथि से गिना जाएगा। ये आदेश उस केस मे लागू नही होगे जहॉ बढी हुई पारिवरिक पेंशन के भुगतान के लिए 7 साल का समय 1.1.2006 या इस से पहले पुरा हो गया तथा परिवार उस तिथि को पारिवारिक पेशन प्राप्त कर रहा था
प्रश्न	क्या अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुराने पैंशनरों को 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तिथि से या ऊपर या तिथि के पहले दिन से देय होगी?
उत्तर	पेंशन/पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त मात्रा 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर या ऊपर, उनके जन्म तिथि के प्रथम दिन से देय होगा। उदाहरण के लिए यदि पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर अगस्त के महीने मे 80 वर्ष की आयु पूर्ण करता हे वह 1.8.2008 से अतिरिक्त पेशन/पारिवरिक पेंशन का हकदार हो जाएगा। जो पेंशनरज/पारिवारिक पेंशनरज जिनकी जन्म तिथि एक अगस्त है, अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन 80 वर्ष की आयु तथा इससे ऊपर आयु प्राप्त करने पर 1.8.2008 से अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन के हकदार होगे।
प्रश्न	यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु 10.12.2011 को हो जाती है तथा उसकी सेवाकाल अवधि 10 वर्ष से अधिक है। पारिवरिक पेंशनर को enhanced family pension 7 वर्ष तक देय होनी या 10 वर्ष तक।
उत्तर	यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु 10.12.2011 को सेवा अवधि मे हो जाती है तथा उसकी अर्हक (qualifying service) सेवाकाल अवधि 10 वर्ष से अधिक है। पारिवरिक पेंशनर को enhanced family pension 10 वर्ष तक देय होगी।
प्रश्न	यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु 10.8.2006 को हो जाती है तथा उसकी सेवाकाल अवधि 7 वर्ष से अधिक है। पारिवरिक पेंशनर को enhanced family pension कितनी अवधि तक मिलेगी।
उत्तर	यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु 10.8.2006 को सेवा अवधि मे हो जाती है तथा उसकी अर्हक (qualifying service) सेवाकाल अवधि 7 वर्ष से अधिक है। पारिवरिक पेंशनर को enhanced family pension 10 वर्ष तक देय होगी।
प्रश्न	यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु उसकी सेवा अवधि मे हो जाती है तथा उसका सेवाकाल अवधि 9 वर्ष से कम है। पारिवरिक पेंशनर को enhanced family pension कितनी अवधि तक मिलेगी।
उत्तर	यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु उसकी सेवा अवधि मे 1.1.2006 को या इसके बाद हो जाती है तथा उसकी अर्हक (qualifying service) सेवाकाल अवधि 7 वर्ष से अधिक है। पारिवरिक पेंशनर को enhanced family pension 10 वर्ष तक देय होगी।

प्रश्न	यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत होने के पश्चात मृत्यु को प्राप्त होता है तथा उसकी सेवानिवृति की तिथि 10.8.2006 है पारिविरिक पेंशनर को enhanced family pension किस अवधि तक देय होगी।
उत्तर	यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत होने के पश्चात मृत्यु को प्राप्त होता है तथा उसकी सेवानिवृति की तिथि 10.8.2006 है पारिविरिक पेंशनर को enhanced family pension 7 वर्ष तक देय होगी।
प्रश्न	यदि कोई कर्मचारी 30.4.2003 को सेवानिवृत होता है तथा उसकी दिनांक 2.6.2006 को मृत्यु हो जाती है। पारिविरिक पेंशनर को enhanced family pension किस अवधि तक देय होगी।
उत्तर	यदि कोई कर्मचारी 30.4.2003 को सेवानिवृत होता है तथा उसकी दिनांक 2.6.2006 को मृत्यु हो जाती है। पारिविरिक पेंशनर को enhanced family pension 7 वर्ष तक देय होगी।

S/-
अवर सचिव वित्त (पेंशन)
कृतेः वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव,
हरियाणा सरकार, वित्त विभाग।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/30/2011–1पेंशन — दिनांक, चण्डीगढ़ 18.1.2011

एक प्रति कार्यभारी, कम्प्यूटर सैल,. वित्त विभाग को कार्यालय वैबसाईट पर इसे रखने के लिए अग्रेषित की जाती है।

अवर सचिव वित्त (पेंशन)
कृतेः वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव,
हरियाणा सरकार, वित्त विभाग।